



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271525
CG-DL-E-02042026-271525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1618]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1618]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1683(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, गोण्डा बाईपास (पुर्वी भाग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 के कि.मी. 19.65 कि.मी. से 28.15 तक उत्तर प्रदेश राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में गोण्डा बाईपास (पुर्वी भाग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	अयोध्या	गोंडा	1 इन्द्रापुर 2 तुरकोलिया

अधिकारी गोण्डा	NH330 के कि.मी 19.65 से कि.मी 28.15 तक				3	भटवलिया
					4	तुर्काडीह
					5	धनौली
					6	महादेव
					7	सोनीकपूर
					8	सोनी हरलाल
					9	मझवा
					10	मांदे
					11	बहलोलपुर
					12	लक्ष्मनपुर
					13	अमदापारा
					14	गंगापुर
					15	उम्मेदजोत

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-330 (Gonda Bypass Eastern part)/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1683(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Gonada bypass (Eastern Part) 4 laning with paved shoulders configuration from km. 19.65 to 28.15 of NH-330 in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition for Gonda bypass (Eastern Part) on National Highway No. NH 330 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Gonda	NH330 KM 19.65 TO KM 28.15	UTTAR PRADESH	Ayodhya	Gonda	1 Indrapur 2 Turkoliya 3 Bhatwalia 4 Turkadeeh 5 Dhanoli 6 Mahadev

						7	Sonikapur
						8	Soni Harlal
						9	Majhwa
						10	Mande
						11	Bahlolpur
						12	Laxmanpur
						13	Amdapara
						14	Gangapur
						15	Ummedjot

[F. No. CE-RO/LKO/NH-330 (Gonda Bypass Eastern part)/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director